वादी बनाम

वाद नं. 156 सन् 2017

लोक अदालत

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्याय आयुक्त द्वारा 201 8

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प में प्रस्तुत हुई। पत्रावली का पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी के द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया है। वादी अपने दुर्बल भी जैजिब (सम्पत्ति) भूमि होने से वह उसके बेचान, रहन सहान्तरण नहीं कर सकते हैं। दुर्बल वर्ग को स्थाई निषेधाज्ञा के प्रतिनिधित्व करने की इच्छा नहीं है। वादी के द्वारा अपनी जैजिब भूमि में अधिकार प्राप्त की इच्छा नहीं है। अधिकार प्राप्त की इच्छा के लिए वादी का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद चलने योग्य नहीं है। स्थाई निषेधाज्ञा मवाद राजस्व रिकार्ड में अंकित हकदार ही के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली निकाल जाती है।

आयुक्त कलक्टर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर आदि हुक्म
	जैसा कि सुनवाई हेतु आज दिनांक 18 को नियत है। निर्णय राजस्व लोक अदालत के समक्ष कोई केस के मालिक आज के लिए बापस जाकर बुलाया गया।	

राजस्व लोक अदालत

सहायक कलक्टर

दौसा